2017/00045

Reader - I

**न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी – भगवती प्रसाद, IAS**

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 29/2017

| प्रार्थी/अपीलार्थी :– | | अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:– |
|---|---|---|
| श्री पवन कुमार पिता श्री रूपचन्दजी जैन, उम्र 65 वर्ष, जाति जैन, निवासी तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज) | बनाम | 1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा।<br>2. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा।<br>3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा। |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 प्रतिकर की राशि के विनिर्धारण हेतु**

**उपस्थित**

श्री हीरालाल जैन, –अधिवक्ता प्रार्थी

श्री योगेश सोमपुरा, –अधिवक्ता विपक्षीगण

**निर्णय**

**दिनांक :– 22–03–2018**

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य के आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 880 की आवासीय भूमि जिसका क्षैत्रफल 1575 वर्गफीट भूमि में से 175 वर्गफीट खुली भूमि व 1400 वर्गफीट भूमि पर पर ग्राउण्ड फ्लोर में आर.सी.सी. में मकान, दूकान व टीनेशैड़ बना हुआ हैं एवं उक्त भूमि में एक बोरिंग किया हुआ हैं तथा उक्त जायदाद वाके मुख्य सड़क (स्टेट हाईवे) तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। प्रार्थी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य के आबादी ुदा आराजी सर्वे नं. 879 की आवासीय भूमि जिसका क्षैत्रफल 780 वर्गफीट में से 130 वर्गफीट खुली भूमि व 650 वर्गफीट भूमि पर दो मंजिला गड़र पट्टी में निर्मित मकान जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर में निर्मित एरिया 650 वर्गफीट व प्रथम मंजिल में निर्मित एरिया 650 वर्गफीट इस प्रकार कुल निर्मित एरिया 1350 वर्गफीट वाके मुख्य सड़क (स्टेट हाईवे) तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। प्रार्थी के खातेदारी की आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 875/1 की स्कबा 05 बिस्वा आबादी भूमि वाके मुख्य सड़क (स्टेट हाईवे) तेजपुर



भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। प्रार्थी के खातेदारी की आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 878/1 की रकबा 07 बिस्वा आबादी भूमि वाके मुख्य सड़क (स्टेट हाईवे) तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 113 प्रतापगढ से पाडी खण्ड मे आने वाली भूमि को अवाप्त की जाने की अधिसूचना से 212 (अ) नई दिल्ली दिनांक 08.09.2012 को अखबार मे प्रकाशित हुई थी जिसमे तेजपुर के आराजी सर्वे नं. 880, 875 को अवाप्त की जाने की अधिसूचना प्रकाशित हुई है तथा सर्वे नं. 878, 879 की भूमि भी अबाप्त की जा रही है। गांव तेजपुर का आराजी सर्वे नं. 880 में से प्रार्थी की भूमि 874 वर्गफीट व उस पर आर.सी.सी. में निर्मित मकान, एक बोरिंग व टीनशेड, सर्वे नं. 879 में से प्रार्थी की भूमि 390 वर्गफीट व उस पर दौ मंजिला निर्मित मकान मय 130 वर्गफीट खुली भूमि व आबादीशुदा सर्वे नं. 875/1 में से 4360 वर्गफीट भूमि तथा आबादीशुदा सर्वे नं. 878/1 की 1790 वर्गफीट भूमि राश्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त की जा रही है। उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के बाद प्रार्थी ने नियमानुसार आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाँसवाडा के वहां आपत्ति पेश की थी। जिसमें उपखण्ड अधिकारी बाँसवाडा द्वारा तहसीलदार बाँसवाडा से मौके व रेकॉर्ड की जांच कराई गई। जिसमें जांच रिपोर्ट में गांव तेजपुर का सर्वे नं. 880 में से प्रार्थी की भूमि 874 वर्गफीट व उस पर आर.सी.सी. में निर्मित मकान, एक बोरिंग व टीनशेड, सर्वे नं. 879 में से प्रार्थी की भूमि 390 वर्गफीट व उस पर दौ मंजिला निर्मित मकान मय 130 वर्गफीट खुली भूमि व आबादीशुदा सर्वे नं. 875/1 में से 4360 वर्गफीट भूमि तथा आबादीशुदा सर्वे नं. 878/1 की 1790 वर्गफीट भूमि अवाप्त किये जाने के संबंध में रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी बाँसवाडा को रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी उक्त दोनो मकानो व भूमि का स्वामी है तथा अपने मकान व भूमि का Arbitrator के द्वारा अवधारण (Adjudication) चाहता है। इस कारण मामले में अवधारण कराने का प्रार्थी को कानूनन हक प्राप्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान है। जिसमें भूमि के डी.एल.सी. मूल्य की दौ गुना राशि कर तथा उक्त दुगुनी राशि का 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) कर अवाप्ति से हुई क्षतियो को ध्यान में रख कर अवार्ड पारीत किया जाना आवश्यक है। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा –

(1) 2016 DNJ (SC) 507, Aligarh Development Authority Vs Maghsingh & Others

(2) 2016 DNJ (SC) 468 Shakuntala Yadav & Ors Vs State of Hariyana & Ors

व अनेकानेक न्यायिक उद्वरणो मे वैधिक सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये है।

प्रार्थी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य के आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 880 की आवासीय भूमि जिसका क्षैत्रफल 1575 वर्गफीट में से 1400 वर्गफीट भूमि पर निर्मित मकान वाके तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित के सम्बन्ध में प्रार्थी के मकान की 874 वर्गफीट भूमि अवाप्त की जा रही हैं लेकिन प्रार्थी का उक्त 1400 वर्गफीट भूमि पर निर्मित पुरा मकान ध्वस्त हो रहा हैं तथा इसी प्रकार आराजी सर्वे नं. 879 की आवासीय भूमि जिसका क्षैत्रफल 780 वर्गफीट में से 650 वर्गफीट भूमि पर निर्मित मकान

वाके तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित के सम्बन्ध में प्रार्थी के मकान की 390 वर्गफीट भूमि अवाप्त की जा रही हैं लेकिन प्रार्थी का उक्त 1300 वर्गफीट भूमि पर निर्मित पुरा मकान ध्वस्त हो रहा हैं, इस कारण प्रार्थी अपने पुरे मकानो की क्षति का मुआवजा पाने का अधिकारी हैं। वर्तमान में उक्त सर्वे नं. 880 में से प्रार्थी की 874 वर्गफीट आबादी भूमि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 4,19,520/– अक्षरे चार लाख उन्नीस हजार पांच सौ बीस रूपया व उस पर निर्मित मकान 1400 वर्गफीट (निर्मित भाग) का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर निर्मित मकान का मुआवजा रूपया 25,20,000/– अक्षरे पच्चीस लाख बीस हजार रूपया एवं उक्त भूमि पर बोरिंग कर उस पर मोटर लगी हुई है जिसका निर्धारण रूपया 2,00,000/– अक्षरे दौ लाख रूपया तथा सर्वे नं. 879 में से प्रार्थी की आबादी भूमि 520 वर्गफीट का वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 2,49,600/– अक्षरे दौ लाख उनपचास हजार छः सौ रूपया एवं उस पर निर्मित दो मंजिला मकान 1300 वर्गफीट (निर्मित भाग) का वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 15,60,000/– अक्षरे पन्द्रह लाख साठ हजार रूपया एवं सर्वे नं. 875/1 में से आबादी भूमि 4360 वर्गफीट का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 20,92,800/– अक्षरे बीस लाख बराणवे हजार आठ सौ रूपया व सर्वे नं. 878/1 में से आबादी भूमि 1790 वर्गफीट का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 8,59,200/– अक्षरे आठ लाख उनसाठ हजार दौ सौ रूपया होता है तथा उक्त कुल राशि रूपया रूपया 79,01,120/– अक्षरे उन्यासी लाख एक हजार एक सौ बीस रूपया का 100 प्रतिशत तोषण दिया जाना आवश्यक है तथा 100 प्रतिशत तोषण की राशि रूपया 79,01,120/– अक्षरे उन्यासी लाख एक हजार एक सौ बीस रूपया होती है। इस प्रकार कुल रकम रूपया 1,58,02,240/– अक्षरे एक करोड अट्ठावन लाख दौ हजार दौ सौ चालीस रूपया एवं उक्त रकम पर अधिसूचना की तिथी से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्रार्थी पाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना–पत्र को धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रार्थी के पक्ष में एवं प्रत्यर्थीगण के विरूद्व निम्न आशय का अवार्ड पारीत करावे कि :–



भगवतीप्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

(क) यह कि, प्रार्थी की उक्त जायदाद का प्रचलित बाजार मुल्य की 2 गुना की दर से रूपया 79,01,120/– अक्षरे उन्यासी लाख एक हजार एक सौ बीस रूपया का 100 प्रति ात तोशण दिया जाना आव यक है तथा 100 प्रति ात तोशण की रा ि ा रूपया 79,01,120/– अक्षरे उन्यासी लाख एक हजार एक सौ बीस रूपया होती है। इस प्रकार कुल रकम रूपया 1,58,02,240/– अक्षरे एक करोड अट्ठावन लाख दो हजार दौ सौ चालीस रूपया या अन्य रकम जो वाजिब बनती है, वह मुआवजा दिलाया जावे व अन्य परिलाभ जो कानूनन प्रार्थी पाने का अधिकारी है, वह भी दिलाया जावें।

(ख) यह कि, कुल राशि रूपया 1,58,02,240/– अक्षरे एक करोड अट्ठावन लाख दौ हजार दौ सौ चालीस रूपया पर नियमानुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज ताअदायगी दिलाया जावे।

(ग) यह कि, इस मामले का व्यय व पारिश्रमिक अभिभाषक प्रार्थी को प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावे।

(घ) यह कि, अन्य अनुतोष जो न्यायहित में आवश्यक हो प्रार्थी को प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08–09–2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, जिसकी नियमानुसार अधिनियम की धारा 3 (C) के तहत आपत्तियां आमन्त्रण के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अधिनियम की धारा 3 (D) की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई। मामले में नियमानुसार अधिनियम की धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3 (क) की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक 08–09–2012 को प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जो सही होकर नियमानुसार है। अतः आर्बिटेशन प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्बिटेशन की परिधि में नहीं आने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है, प्रार्थी ने तथ्यों को छुपा कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी जिस भूमि का प्रार्थना पत्र लेकर पेश हुआ है, उक्त आराजी भूमि का गजट प्रकाशन नियमानुसार अवार्ड पारित होकर उक्त आराजी के मुआवजे का नियमानुसार अवार्ड जारी होने की दिनांक से जमा करा दिया गया, जो कि प्रार्थी के हित के अनुरूप उक्त जमा मुआवजा को पाने की अधिकारी है तथा जिस कारण उक्त आराजी का मुआवजा जारी होने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। अवार्ड में स्पष्ट उल्लेखित है कि धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3–क की अधिसूचना के गजट प्रकाशन की दिनांक 08–09–2012 को प्रचलित बाजार दरों की



भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
चित्तौड़

सूचना उप पंजीयकों से मंगवाई गई है। डीएलसी दरें का तात्पर्य जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से है, इसी कारण अवाप्ताधीन भूमि एन. एच. पर स्थित को मान कर प्राप्त डीएलसी की दर से मुआवजा निर्धारण किया गया है। जो सही है। इसके अतिरिक्त For determination of Market value of large track of land for Acquisation, value of small plots is not applicable, AIR 1989 P & H 27 Hukum chand V. Hariyana State में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः यदि कोई प्लॉट ( small of Land plote ) आता है तो उसका निर्धारण पुरे ट्रेक पर स्थित भूमियों के अनुरूप किया जाएगा। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अधिग्रहित की गई है, उक्त अधिग्रहित कार्यवाही पर Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, चुंकि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08–09–2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिला नगर परिषद् के 15 किमी परिधि में होने वाले अधिग्रहित भूमि पर दोगुना राशि व 100 प्रतिशत तोषण के प्रावधान लागु नहीं होते हैं। धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो कि मुआवजे के अवार्ड जारी हो चुके हैं, जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा द्वारा प्रकरण में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम तेजपुर के खसरा नम्बर 875/1 में से 0.003 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 880 में से 0.013 हैक्टेयर किस्म आबादी श्री–सरकार के नाम से अधिसूचना जारी होकर अवार्ड पारित हुआ हैं। जबकि प्रार्थी श्री पवन कुमार की उक्त खसरा नम्बर 875/1 रकबा 5 बीस्वा में से 1980 वर्ग फीट एवं खसरा नम्बर 880 रकबा 3 बीस्वा में से 630 वर्ग फीट स्वयं की रूपान्तरित आबादी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्त हुई हैं। प्रार्थी ने आराजी नम्बर 878 एवं 879 में से भी अवाप्त भूमि के मुआवजें हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं। उक्त दोनों खसरा नम्बर की अधिसूचना जारी नहीं होकर अवार्ड पारित नहीं हुआ हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 113 में आंशिक खसरा नम्बर 875/1 एवं 880 में से अवाप्तशुदा भूमि की लोक सूचना जारी होकर गजट नोटिफिकेशन जारी चुका है, परन्तु गजट नोटिफिकेशन में आराजी नम्बर 875/1 रकबा 5 बीस्वा में से 0.003 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 880 रकबा 3 बीस्वा में से 0.013 हैक्टेयर श्री–सरकार आबादी भूमि का होकर अवार्ड जारी हुआ हैं। खसरा नम्बर 878 एवं 879 की अधिसूचना जारी नहीं हुई हैं। उक्त खसरा नम्बर 875/1 में से 0.003 हैक्टेयर एवं 880 में से 0.013 हैक्टेयर श्री–सरकार आबादी भूमि का कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर के आधार पर अवार्ड पारित किया गया हैं, जबकि अवाप्तशुदा भूमि स्वयं की रूपान्तरित आबादी भूमि हैं। श्री–सरकार भूमि मानते हुए अवार्ड पारित होने से मुआवजा राशि के



भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

चैक जारी नहीं किये गये हैं। प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि का आबादी भूमि की डी.एल.सी. दर से मुआवजा राशि का चैक जारी नहीं किये गये हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन अधिसूचना संख्या 2112 (अ) नई दिल्ली 8 सितम्बर 2012 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी की अधिसूचना दिनांक 23.08.2013 को समाचार पत्र मे प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राजस्व ग्राम तेजपुर का आराजी नम्बर 875/1 रकबा 5 बीस्वा 878 रकबा 7 बीस्वा एवं 880 रकबा 3 बीस्वा कुल 15 बीस्वा भूमि प्रार्थी श्री पवन कुमार पिता रूपचन्द जैन निवासी तेजपुर की कार्यालय तहसीलदार, बांसवाडा द्वारा जारी संपरिवर्त्तन आदेश क्रमांक राज/2004/45–48 दि. 8.12.2004 को आवासीय प्रयोजनार्थ कृषि से अकृषि में रूपान्तरित हुआ हैं। उक्त आदेश की पालना में ग्राम तेजपुर के नामन्तरकरण सं. 1371 दिनांक 8.12.2004 द्वारा खातेदार के बजाय श्री–सरकार आबादी दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया गया हैं। अवाप्तशुदा भूमि का गजट नोटिफिकेशन से पूर्व रूपान्तरण हुआ हैं। मुताबिक तहसीलदार बांसवाडा की रिपोर्ट प्रार्थी पवन कुमार की मौके एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार निम्नानुसार रूपान्तरित भूमि एवं परिसम्पति अवाप्त हुई हैं।

| क्र. सं. | नाम ग्राम | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म भूमि | अवाप्त क्षैत्रफल (वर्गफीट) | भूमि पर स्थित परिसम्पति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तेजपुर | 875/1 | 0.05 | आबादी | 1980 | – |
| 2 | | 878 | 0.07 | | 2700 | – |
| 3 | | 879 | 0.16 | | 375 | दो मंजिला पक्का मकान, दुकान |
| 4 | | 880 | 0.03 | | 630 | पक्का मकान, दुकान, ट्यूब–वेल |

ग्राम तेजपुर के पारित अवार्ड मुताबिक खसरा नम्बर 875 में से 0.003 है. अर्थात 323 वर्ग फ़ीट एवं खसरा नम्बर 880 में से अवाप्तशुदा 630 वर्ग फीट भूमि का ग्राम तेजपुर की वर्ष 2010–11 की डी.एल.सी. दर में 15% इसके पश्चात् 10% जोडकर की गई गणना से अवाप्तशुदा 953 वर्ग फीट भूमि की मुआवजा राशि 1,53,105/–अक्षरे रूपया एक लाख तरेपन हजार एक सौ पांच बनती हैं। परिसम्पत्ति का मूल्यांकन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता हैं।

प्रार्थी श्री पवन कुमार की ग्राम तेजपुर में अवाप्ताधीन खसरा नम्बर 878 एवं 879 एवं खसरा नम्बर 875/1 में से 1657 वर्ग फीट अतिरिक्त अवाप्त भूमि की पारित अवार्ड के अतिरिक्त मौके पर अवाप्ति में आ रही पूरक सूची तैयार कर परियेजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग (विश्व बैंक) बांसवाडा को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने पृथक से प्रस्तुत की जा सकती हैं। यह विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत होने से सहायता राशि (माईक्रो–प्लान) R&R का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वयं सेवी संस्था (NGO)द्वारा किया जाता हैं।

दिनांक 22–03–2018 को बहस सुनी गई।



भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना–पत्र को धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रार्थी मुआवजे की राशि का भुगतान कराया जावे।

विपक्षी संख्या एक की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं बढा चढा कर प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर आधारित होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आवासीय प्रयोजनार्थ कृषि से अकृषि में रूपान्तरित हुआ हैं। ग्राम तेजपुर के नामान्तरकरण संख्या 1371 दिनांक 8.12.2004 द्वारा खातेदार के बजाय श्री–सरकार आबादी दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया गया हैं। अवाप्तशुदा भूमि का गजट नोटिफिकेशन से पूर्व रूपान्तरण हुआ हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के अन्तर्गत भूमि अवाप्त होने से यह विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत होने से सहायता राशि (माईक्रो–प्लान) R&R का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वयं सेवी संस्था (NGO)द्वारा किया जाता हैं। इस प्रकार प्रार्थी को उसकी आवासीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत आवासीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं इससे सम्बद्ध निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि की गणना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से करवाई जाकर प्रार्थी को अवार्ड एवं सहायता राशि का भुगतान कराया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं. 113, बांसवाड़ा (राज.) को निर्देशित किया जाता है निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को भुगतान कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा